

कार्यालय:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

कार्यालय आदेश संख्या -01/यो0ब0 (10) 2014 - 12

राँची-2, दिनांक-25/2/19

वन विभागीय अधिसूचना संख्या सं0सं0-4/यो0 बजट-42/2010-2371 व0प0, दिनांक 05.05.2015 द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थाई समिति का गठन किया गया है जिसकी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में दिनांक 12.02.2019 को बैठक आयोजित की गई।

समिति द्वारा पूर्व निर्धारित कार्य दरों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए झारखण्ड राज्य राष्ट्रीय बाँस मिशन के तहत आधुनिक स्थायी पौधशाला में एक लाख उन्नत बाँस के पौधों को तैयार करने हेतु दर की अनुशंसा की गई।

झारखण्ड राज्य राष्ट्रीय बाँस मिशन के तहत

आधुनिक स्थायी पौधशाला में एक लाख पौधों की तैयारी हेतु कार्य दर

पौधशाला का नेट क्षेत्रफल: 2 हे0

मजदूरी प्रति मानव दिवस : 237.38 रुपये

स्थायी बेड़ों में कुल पौधों की संख्या : 1.00 लाख

क्र0सं0	कार्य का विवरणी	मानव दिवस	मजदूरी रू0 में	सामग्री रू0 में	कुल व्यय रू0 में
i	ii	iii	iv	v	vi
1.	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	3	712.14	0	712.14
2.	स्थल की सफाई एवं आवश्यकतानुसार समतलीकरण	15	3560.70	0	3560.7
3.	घेरान (कटीला तार 4 Point, 2Ply 12 SWG 150mm apart) : 7 स्ट्रैंड तथा एक क्रॉस का; औसत लम्बाई -700 m (20 kg कटीला तार प्रति 20m घेरान) -700 kg@ Rs. 75.25/kg.		0	52675.00	52675.00
4.	घेरान में प्रयोग हेतु स्टेपुल्स/क्लिप्स-26 kg @ Rs 74.50/kg		0	1937.00	1937.00
5.	घेरान हेतु 3 मीटर की दूरी पर आयरन एंगल (MS Angle) का प्रयोग :-				
5.1	235 आयरन एंगल का क्रय : MS Angle 50 mm x 50 mm x 5mm, लम्बाई 7*, वजन 8 kg प्रति पीस; प्रत्येक पीस में 7 छिद्र, नीचे से क्रमशः 21", 27", 33", 42", 57", 63" एवं 75" पर तथा नीचे फोर्क के साथ-दर रू0 655/प्रति पीस		0	153925.00	153925.00

5.2	235 आयरन ऐंगल पोस्ट की ग्राउटिंग हेतु पी0सी0सी0 (1:2:4) ढलाई का कार्य	67	15904.46	17417.17	33321.63
5.3	235 आयरन ऐंगल पोस्ट की ग्राउटिंग के पूर्व सतह की सफाई कर रेड ऑक्साईड से रंगने और ग्राउटिंग के बाद काले पेंट से दो coat रंगने का कार्य—रेड ऑक्साईड—24 ली0, पेंट 8 ली0	10	2373.80	4480.00	6853.80
6.	एक गेट (12' चौड़ा एवं 6' ऊँचा)का निर्माण एवं दो पीलर के साथ उसे लगाना	8	1899.04	39367.68	41266.72
7.	235 आयरन ऐंगल पोस्ट लगाने हेतु 1'x 1' x 2' का गड्ढा खोदना	10	2373.80	0	2373.80
8.	कंटीला तार खींचने (फेंसिंग हेतु) कार्य	544	129134.72	0	129134.72
9.	200 x 150mm dia & 125 m deep बोरिंग (हैंडपंप सहित)		0	153811.00	153811.00
10.	पंप हाउस—सह—जेनरेटर रूम (10 m x 10 m) का निर्माण तथा 4000 ली0 पी0सी0सी0 पानी टंकी पाईप कनेक्शन के साथ।	325	77148.50	96441.52	173590.02
11.	बोरिंग के लिये सबमर्सिबल पम्प (2 HP, Single Phase) (क्रय, परिवहन एवं स्थापना के साथ) एवं उर्जा हेतु विद्युत कनेक्शन और विकल्प के रूप में 5KVA का प्रदूषणरहित जेनरेटर (क्रय, परिवहन एवं स्थापन के साथ)	19	4510.22	226212.00	230722.22
12	कार्यालय/प्रयोगशाला रूम का निर्माण (250sft)	456	108245.28	99637.76	207883.04
13	सिंचाई पाईप (63 mm & 32 mm OD) की स्थापना	130	30859.40	117558.15	148417.55
14	बीज उपचार टैंक (2.50 m x 1.25 m x 1.00 m) का निर्माण; टैंक की सं0—एक अद्द	40	9495.20	8999.51	18494.71
15	बीज उपचार हेतु पक्का चबूतरा (2 m x 2 m x 0.30m) का निर्माण; चबूतरा की सं0—एक अद्द	46	10919.48	36558.90	47478.38
16	ग्रीन नेट भोड 750 वर्ग मीटर Pillar, Bush, Arch, Tie, Tana, Angle, Clam, nut bolt, coated wire and 1 No. Door with agronet fitting.	700	166166.00	370000.00	536166.00
17	ग्रीन नेट शेड में सूक्ष्म सिंचाई की व्यवस्था—Micro sprinkler/fogger, main pipe PVC 50 mm, lateral pipe LLDP 12 mm, Spagative tube-63mm, plunge, fittings, screen filter, 2HP tullu pump with all fittings 750 sqmtr. @ Rs. 85/sqmt.		0.00	53750.00	53750.00

18	हायग्रो पिट्स (Hygropits) 2 छवे बीज अंकुरण के लिए size (3.00x 1.50)m ² ; MS Pati Frame Work : 15/5 M.S. pati : 3.00 mtr x 3 nos. = 9.00 mtr., 2.50 mtr x 4 nos = 10.00 mtr., 0.75 mtr x 2 nos. = 1.50 mtr., 150 mtr x 2 nos. = 3.00 mtr., 23.50 mtr./0.30 x 0.40 kg. = 31.33 or say 31.5 kg. Lump sum 2 हायग्रो पिट्स के लिए	22	5222.36	9942.20	15164.56
19.	रूट-ट्रेनर हाईकोपॉट 300सी0सी0 25,000 अदंद् रु06/- प्रति पीस		0.00	600000.00	600000.00
20.	लोहे का 1000 रूट-ट्रेनर स्टैण्ड 300 CC के लिए 33" x 33" x 2' (ht.) frame- 1"x0.25", patti - 0.5" x 0.25", middle support- 0.5" x 0.25", stand-1" x 0.25", support angle-3" x 0.5", weight-15 kg-17 kg @ Rs. 1275 per pc.		0.00	1275000.00	1275000.00
21.	जैविक खाद तैयारी स्थल choupung machine and fixing के साथ	70.00	16616.6	28500.00	45116.60
22.	जैविक खाद, पॉटिंग मिश्रण, रूट-ट्रेनर हेतु स्टोरेज शेड	110.00	26111.80	60000.00	86111.80
23.	साईन बोर्ड			1795.00	1795.00
	योग :-	2575.00	611253.50	3408007.89	4019261.39

समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, का अनुमोदन प्राप्त है। अनुमोदित कार्य दर में क्रय होने वाली सभी सामग्रियों का क्रय वन विभागीय अधिसूचना संख्या 940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा गठित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की समिति द्वारा न्यूनतम दर/GeM की दर पर किया जायेगा। विभिन्न कार्यों के लिए अनुमोदित राशि का व्यय करते वक्त वित्त विभाग के पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013, पत्रांक 1758 दिनांक 17.05.2017 एवं इस कार्यालय के ज्ञापांक 100 दिनांक 25.01.2019 द्वारा GST भुगतान हेतु निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। श्रम विभाग की समय-समय पर लागू मजदूरी दर के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जायेगा। यह दर आदेश निर्गत के तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लागू होंगे एवं इसके अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगा।

ह0/-

(एस0 एस0 बधावन)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 199 दिनांक- 25/2/19

प्रतिलिपि- :-

1. अपर मुख्य सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची
3. सभी प्रधान मुख्य वन संरक्षक

4. सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक प्रसार वानिकी/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
5. सभी मुख्य वन संरक्षक/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
6. सभी वन संरक्षक/सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी
7. इन्विस केन्द्र झारखण्ड को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के लिए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

कार्यालय:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

कार्यालय आदेश संख्या -01/यो0ब0 (10) 2014 - 13

राँची-2, दिनांक-25/2/19

वन विभागीय अधिसूचना संख्या सं0सं0-4/यो0 बजट-42/2010-2371 व0प0, दिनांक 05.05.2015 द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थाई समिति का गठन किया गया है जिसकी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में दिनांक 12.02.2019 को बैठक आयोजित की गई।

समिति द्वारा पूर्व निर्धारित कार्य दरों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए झारखण्ड राज्य राष्ट्रीय बाँस मिशन के तहत बाँस वनरोपण की कार्य दर की अनुशंसा की गई।

झारखण्ड राज्य बाँस मिशन के अन्तर्गत बाँस वनरोपण का अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम - बाँस वनरोपण

पौधों की दूरी - 3मी0 x 3मी0

पौधों की संख्या प्रति हे0 -1000

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु) - 237.38

क्र0सं0	कार्य का विवरणी	मानव दिवस	मजदूरी रु0 में	सामग्री रु0	कुल रु0 में	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
ए 1	अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) सर्वेक्षण एवं डिमाकेशन	3	712.14	0.00	712.14	
2	झाड़ी सफाई	7	1661.66	0.00	1661.66	
3	मशीन द्वारा ट्रैच खोदायी ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक 01.04.2014 से लागू का आईटम सं0 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवदक लाभ घटाकर दर)	12	2848.56	11782.74	14631.30	
4	मृदा कार्य (0.45 मी0 x 0.45 मी0 x 0.60मी0) 1000 गड्ढा प्रति हे0	100	23738.00	0.00	23738.00	
5	स्थायी पौधशाला से बाँस राईजोम (रूट-सुट के साथ) का क्रय 1050 :-					
क)	रूट-शूट बनाने पर व्यय		576.83	0.00	576.83	
ख)	रूट-शूट क्रय पर व्यय 10/- प्रति राईजोम	2.43	0.00	10500	10500.00	
6	अंश पौधशाला का कार्य (दिसम्बर से मार्च) 10 से0मी0 x 20 से0मी0 x 100 गेज की पोलीथिन थैली में 10 से 15 प्रतिशत गैर काष्ठ वनरोपण के साथ रात्रि प्रहरी सहित	10	2373.80	0.00	2373.80	
7	सामग्री (पोलीथिन थैली, बीज,उर्वरक, खाद रसायन पौधशाला के लिये घेरान सामग्री छायांकन प्रसार आदि) तथा बाँस राईजोम का परिवहन		0.00	3500.00	3500.00	

8	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य जैसे कट्टर ट्रेंच गली प्लगिंग, डायवर्सन चैनल, चेक डेम आदि	25	5934.50	0.00	5934.50
	योग :-	159.43	37845.49	25782.74	63628.23
बी	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)				
1	अंश पौधशाला कार्य (रात्रि प्रहरी सहित)	10	2373.80	0.00	2373.80
2	वृक्षारोपण	22	5222.36	0.00	5222.36
3	दो कोड़नी एवं निकौनी मल्लिचंग सहित	25	5934.50	0	5934.50
4	सुरक्षा पर व्यय	7	1661.66	0	1661.66
5	सामग्री, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि 50 ग्राम प्रति पौधा एन0पी0के0 सहित)	0	0.00	1420.00	1420.00
6	ट्रेंच के बर्न पर घेरान हेतु बीज रोपण	2	474.76	0.00	474.76
7	विविध कार्य (छायांकन एवं प्रसार सहित)	0	0.00	150.00	150.00
	योग :-	66	15667.08	1570.00	17237.08
सी.	सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष)				
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	14	3323.32	0.00	3323.32
2	उर्वरक (50 ग्राम/पौधा यूरिया सहित)		0.00	1135.00	1135.00
3	पौधों की सुरक्षा पर व्यय	12.2	2896.04	0.00	2896.04
4	घेरान की मरम्मती	1	237.38	0.00	237.38
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	3	712.14	2000.00	2712.14
	योग :-	30.2	7168.88	3135.00	10303.88
डी.	सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)				
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	14	3323.32	0.00	3323.32
2	उर्वरक (50 ग्राम/पौधा यूरिया सहित)	0	0.00	780.00	780.00
3	पौधों की सुरक्षा पर व्यय	12.2	2896.04	0.00	2896.04
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	3	712.14	2000.00	2712.14
	योग :-	29.2	6931.5	2780.00	9711.50
	सकल योग :-	284.83	67612.95	33267.74	100880.69
				0r	100000.00

समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, का अनुमोदन प्राप्त है। अनुमोदित कार्य दर में क्रय होने वाली सभी सामग्रियों का क्रय वन विभागीय अधिसूचना संख्या 940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा गठित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की समिति द्वारा न्यूनतम दर/GeM की दर पर किया जायेगा। विभिन्न कार्यों के लिए अनुमोदित राशि का व्यय करते वक्त वित्त विभाग के पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013, पत्रांक 1758 दिनांक 17.05.2017 एवं इस कार्यालय के ज्ञापांक 100 दिनांक 25.01.2019 द्वारा GST भुगतान हेतु निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। श्रम विभाग की समय-समय पर लागू मजदूरी दर के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जायेगा। यह दर आदेश निर्गत के तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लागू होंगे एवं इसके अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगा।

ह0/-

(एस0 एस0 बधावन)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 200

दिनांक- 25/02/19

प्रतिलिपि- :-

1. अपर मुख्य सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची
3. सभी प्रधान मुख्य वन संरक्षक
4. सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक प्रसार वानिकी/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
5. सभी मुख्य वन संरक्षक/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
6. सभी वन संरक्षक/सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी
7. इन्विस केन्द्र झारखण्ड को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के लिए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

कार्यालय:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

कार्यालय आदेश संख्या -01/यो0ब0 (10) 2014 - 14

राँची-2, दिनांक-25/2/19

वन विभागीय अधिसूचना संख्या सं0सं0-4/यो0 बजट-42/2010-2371 व0प0, दिनांक 05.05.2015 द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थाई समिति का गठन किया गया है जिसकी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में दिनांक 12.02.2019 को बैठक आयोजित की गई।

समिति द्वारा पूर्व निर्धारित कार्य दरों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए झारखण्ड राज्य राष्ट्रीय बाँस मिशन के तहत बाँस के पौधशाला का कार्य दर की अनुशंसा की गई।

बाँस के पौधशाला का पुनरीक्षित कार्य दर तालिका

पौधशाला का नेट क्षेत्रफल : 0.5 हे0

पौधों की संख्या : 16000

मजदूरी प्रति मानव दिवस : रू0 237.38

क्र0सं0	कार्य का विवरण एवं Specifications	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	1	237.38	0.00	237.38	1. क्रम संख्या 1 से 11 तक कार्य दर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास झारखण्ड, राँची के कार्यालय आदेश संख्या-01/यो0ब0 -10/14 II-16 दिनांक 28.02.2018 पर आधारित है।
2	स्थल की सफाई एवं आवश्यकतानुसार समतलीकरण	4	949.52	0.00	949.52	
3	घेरान (कंटीला तार 4 Point, 2 Ply 12SWG 150mm apart) : 7 स्ट्रैंड तथा एक क्रॉस का, औसत लम्बाई-350 m (20 kg कंटीला तार प्रति 20m घेरान)-350Kg@ Rs. 75.25/kg.		0.00	26337.50	26337.50	
4	घेरान में प्रयोग हेतु स्टेपुल्स/क्लिप्स-26Kg @Rs. 74.50/kg		0.00	968.50	968.50	
5	घेरान हेतु 3 मीटर की दूरी पर आयरन एंगल (MS Angle) का प्रयोग :-					
5.1	120 आयरन एंगल का क्रय : MS Angle 50 mm x 50 mm, लम्बाई 7*, वजन 8kg प्रति पीस, प्रत्येक पीस में 7 छिद्र, नीचे से क्रमशः 21", 27", 33", 42", 57", 63" एवं 75" पर तथा नीचे फोर्क के साथ-दर रू0 655/प्रति पीस		0.00	78600.00	78600.00	2. क्रम संख्या 12 से 25 तक कार्य दर मुख्य वन संरक्षक, विकास
5.2	120 आयरन एंगल पोस्ट की ग्राउटिंग हेतु पी0सी0सी0 (1: 2 : 4) ढलाई का कार्य	34	8070.92	8893.88	16964.80	

5.3	120 आयसन ऐंगल पोस्ट की ग्राउटिंग के पूर्व सतह की सफाईकर रेड ऑक्ससाईड से रंगने और ग्राउटिंग के बाद काले पेंट से दो coat रंगने का कार्य	6	1424.28	2287.66	3711.94	झारखण्ड, राँची के द्वारा वर्ष 2002 में पुनरीक्षित स्थाई पौधशाला के कार्य दर पर आधारित है। मजदूरी एवं सामग्री का दर अनुपातिक रूप से संगणित है।
6	एक गेट (12' चौड़ा एवं 6' ऊँचा) का निर्माण एवं दो RCC पीलर के साथ उसे लगाना।	8	1899.04	39367.68	41266.72	
7	120 आयसन ऐंगल पोस्ट लगाने हेतु 1' x 1' x 2' का गड्ढा खोदना	6	1424.28	0.00	1424.28	
8	कंटीला तार खींचने (फेंसिंग हेतु) कार्य	272	64567.36	0.00	64567.36	
9	200 x 150mm dia & 125 m deep बोरिंग (हैंडपंप सहित)		0.00	153811.00	153811.00	
10	बोरिंग के लिये सबमर्सिबल पम्प (2HP, Single Phase) (क्रय, परिवहन एवं स्थापना के साथ) एवं उर्जा हेतु विद्युत कनेक्शन और विकल्प के रूप में 5KVA का प्रदूषणरहित जेनरेटर (क्रय, परिवहन एवं स्थापना के साथ)	19	4510.22	226212.00	230722.22	
11	सिंचाई पाईप (63 mm & 32mm OD) की स्थापना	65	15429.70	58779.07	74208.77	
12	अकुरण हेतु चार बेडों का निर्माण (12.20 मी० x 1.22मी० x 0.20 मी०)	8	1899.04	1294.00	3193.04	
13	32 स्थायी बेडों का निर्माण (12.20 मी० x 1.22मी० x 0.60 मी०) एवं मिट्टी, कंपोस्ट, बालू तैयार करना	64	15192.32	0.00	15192.32	
14	रासायनिक खाद, 15 ग्राम प्रति पौधा एवं जैविक खाद 10 ग्राम प्रति पौधा एवं कीटनाशक आदि का क्रय।		0.00	10267.00	10267.00	
15	पॉलीथिन ट्यूब (8"x12"x210 गेज) का क्रय, संख्या- 8,000+20% extra = 9,600 (Weight 6.00 kg per 1000 tubes)		0.00	5000.00	5000.00	
16	पॉलीथिन ट्यूब की भराई (8000 + 20% extra = 9600 ट्यूब्स)	40	9495.20	2481.00	11976.20	
17	बीज संग्रहण/ क्रय		0.00	2500.00	2500.00	
18	बीज उपचार एवं रोपण, ढकना, छिड़काव	15	3560.70	969.15	4529.85	
19	अकुरण बेडों का रख-रखाव उपयोग के सामग्री सहित	10	2373.80	1000.00	3373.80	

20	प्रिक आउट (बेड एवं पोलीथिन बैग में) एवं ट्रान्सप्लॉटिंग प्रति 500 पौधों की बुनाई पर एक मानव दिवस औसत।	35	8308.30	0.00	8308.30	
21	कोड़नी-निकौनी एवं पटवन, घास की सफाई इत्यादि।	200	47476.00	0.00	47476.00	
22	डीजल, मोबील, पम्प की मरम्मत एवं संचालन पर व्यय		0.00	30000.00	30000.00	
23	सुरक्षा पर व्यय	365	86643.70	0.00	86643.70	
24	एक सेड निर्माण	20	4747.60	65000.00	69747.60	
25	साईन बोर्ड एवं अन्यान्य व्यय (फेंसिंग रिपेयर सहित)।	10	2373.80	6000.00	8373.80	
	योग :-	1182.00	280583.16	719768.44	1000351.60	
				or	1000000.00	

समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, का अनुमोदन प्राप्त है। अनुमोदित कार्य दर में क्रय होने वाली सभी सामग्रियों का क्रय वन विभागीय अधिसूचना संख्या 940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा गठित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की समिति द्वारा न्यूनतम दर/GeM की दर पर किया जायेगा। विभिन्न कार्यों के लिए अनुमोदित राशि का व्यय करते वक्त वित्त विभाग के पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013, पत्रांक 1758 दिनांक 17.05.2017 एवं इस कार्यालय के ज्ञापांक 100 दिनांक 25.01.2019 द्वारा GST भुगतान हेतु निर्गत निर्देशों का अनुपालन भी किया जायेगा। श्रम विभाग की समय-समय पर लागू मजदूरी दर के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जायेगा। यह दर आदेश निर्गत के तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लागू होंगे एवं इसके अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगा।

ह0/-

(एस0 एस0 बधावन)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक-201 दिनांक-25/2/19

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची
3. सभी प्रधान मुख्य वन संरक्षक

4. सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक प्रसार वानिकी/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
5. सभी मुख्य वन संरक्षक/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
6. सभी वन संरक्षक/सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी
7. इन्विस केन्द्र झारखण्ड को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के लिए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

कार्यालय:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

कार्यालय आदेश संख्या -01/यो0ब0 (10) 2014 - 15

राँची-2, दिनांक-25/2/19

वन विभागीय अधिसूचना संख्या सं0सं0-4/यो0 बजट-42/2010-2371 व0प0, दिनांक 05.05.2015 द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थाई समिति का गठन किया गया है जिसकी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में दिनांक 12.02.2019 को बैठक आयोजित की गई।

समिति द्वारा पूर्व निर्धारित कार्य दरों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए झारखण्ड राज्य राष्ट्रीय बाँस मिशन के तहत रैयती भूमि पर बाँस वनरोपण की कार्य दर की अनुशंसा की गई।

झारखण्ड राज्य बाँस मिशन के अन्तर्गत रैयती भूमि पर बाँस वनरोपण का अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम - बाँस वनरोपण

पौधों की दूरी - 5मी0 x 5मी0

पौधे की संख्या प्रति हे0 -400

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु) - 237.38

क्र0सं0	इकाई दर					योग	अभियुक्ति
	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी	सामग्री		
1	2	3	4	5	6	7	8
क	वित्तीय वर्ष 2018-19 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष)						
1.	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे0	3	712.14	0.00	712.14	
2.	झाड़ी सफाई	हे0	7	1661.66	0.00	1661.66	
3.	झाड़ी घेरान (ड्रेसिंग सहिता) 6.25 चेन/मानव दिवस	हे0	37.5	8901.75	156.25	9058.00	
4.	मृदा कार्य (0.45मी0 x 0.45मी0 x 0.60मी0) 400 पी0/हे0	हे0	40	9495.20	0.00	9495.20	
5.	पौधों का क्रय/60 रु0 प्रति पौधा (परिवहन सहित)/400 पौधे प्रति हे0	हे0		0.00	24000.00	24000.00	
6.	भू-संरक्षण कार्य (कट्टर ट्रेंच, गली प्लगिंग, डायवर्सन चैनल, चेक डेम आदि)		10	2373.80	0.00	2373.80	
7.	सूचना पट्ट का निर्माण एवं लगाना (4"x 3") (एक स्थल पर एक सूचना पट्ट)			0.00	8000.00	8000.00	
8.	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)			0.00	1000.00	1000.00	
	योग :-		97.50	23144.55	33156.25	56300.80	
ख	वित्तीय वर्ष 2019-20 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)						
1.	वृक्षारोपण	हे0	8.80	2088.94	0.00	2088.94	
2.	दो कोड़नी एवं निकौनी	हे0	10.00	2373.80	0.00	2373.80	

3.	पौधों की सुरक्षा	हे0	7.00	1661.66	0.00	1661.66	
4.	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	568.00	568.00	
5.	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)		0.00	0.00	150.00	150.00	
	योग :-		25.80	6124.40	718.00	6842.40	
ग	वित्तीय वर्ष 2020-21 में सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष)						
1.	एक कोड़नी एवं निकौनी	हे0	5.60	1329.33	0.00	1329.33	
2.	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	454.00	454.00	
3.	पौधों की सुरक्षा	हे0	12.20	2896.04	0.00	2896.04	
4.	मृत पौधों का प्रतिस्थापन (20% @ 60 रु0प्रति पौधा)	हे0	3	712.14	4800.00	5512.14	
5.	घेरान मरम्मती		20.00	4747.60	78.00	4825.60	
	योग :-		40.80	9685.11	5332.00	15017.11	
घ	वित्तीय वर्ष 2021-22 में सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)						
1.	एक कोड़नी एवं निकौनी	हे0	5.60	1329.33	0.00	1329.33	
2.	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	312.00	312.00	
3.	पौधों की सुरक्षा	हे0	12.20	2896.04	0.00	2896.04	
4.	मृत पौधों का प्रतिस्थापन (10% @ 60 रु0प्रति पौधा)	हे0	3	712.14	2400.00	3112.14	
5.	झाड़ी घेरान (ड्रेसिंग सहित) 6.25 चैन/मानव दिवस	हे0	37.50	8901.75	156.25	9058.00	
	योग :-		58.30	13839.26	2868.25	16707.51	
	सकल योग :-		222.40	52793.32	42074.50	94867.82	

समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, का अनुमोदन प्राप्त है। अनुमोदित कार्य दर में क्रय होने वाली सभी सामग्रियों का क्रय वन विभागीय अधिसूचना संख्या 940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा गठित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की समिति द्वारा न्यूनतम दर/GeM की दर पर किया जायेगा। विभिन्न कार्यों के लिए अनुमोदित राशि का व्यय करते वक्त वित्त विभाग के पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013, पत्रांक 1758 दिनांक 17.05.2017 एवं इस कार्यालय के ज्ञापांक 100 दिनांक 25.01.2019 द्वारा GST भुगतान हेतु निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। श्रम विभाग की समय-समय पर लागू मजदूरी दर के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जायेगा। यह दर आदेश निर्गत के तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लागू होंगे एवं इसके अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगा।

ह0/-

(एस0 एस0 बंधावन)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 202 दिनांक- 25/2/19

प्रतिलिपि- :-

1. अपर मुख्य सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची
3. सभी प्रधान मुख्य वन संरक्षक
4. सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक प्रसार वानिकी/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
5. सभी मुख्य वन संरक्षक/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
6. सभी वन संरक्षक/सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी
7. इन्विस केन्द्र झारखण्ड को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के लिए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।